विविध पत्रावली 2024 / 000

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

महेन्द्र कुमार कुक्कड़ बनाम औमप्रकाश व अन्य

प्रकरण संख्या 2024 / 046

online #

अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश कमांक एवं दिनांक
16.08.2024	वादी अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा द्वारा उपस्थित आकर वादपत्र प्रस्तुत, वाचक द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत, दर्ज पंजिका हो, प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी हो. पत्रावली दिनांक 28 अगस्त, 2024 को पेश हो.	
28/8/24	आज पीठासीन अधिकारी अ.प्र.प्रभार कार्य में व्यस्त पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 9/9/24 को पेश हो।	
9/9/24	आज पीठासीन अधिकारी अ.प्र.प्रभार कार्य में व्यस्त पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/9/24 को पेश हो।	
23/9/24	आज पीठासीन अधिकारी अ.प्र.प्रभार कार्य में व्यस्त पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/9/24 को पेश हो।	
30/09/24	अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु [illegible] अवसर दिया जाता [illegible] पत्रावली वास्ते तलबी [illegible] 24 को पेश हो।	
18.10.24	अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 ता 12 की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली वास्ते [illegible] [illegible] दिनांक 21.10.24 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.09 13:56:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– स्वाति गुप्ता, R.A.S
वाद संख्या 42/2024
अर्न्तगत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

महेन्द्र कुमार कुक्कड़ पुत्र श्री रामचन्द कुक्कड़ जाति अरोड़ा निवासी 10 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) हाल G-21 खालसा नगर, श्रीगंगानगर। ....वादी

ब ना म

1. औमप्रकाश पुत्र श्री रामचन्द जाति अरोड़ा निवासी 10 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
2. पूर्ण चन्द पुत्र श्री रामचन्द जाति अरोड़ा निवासी 10 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
3. वेदप्रकाश पुत्र श्री रामचन्द जाति अरोड़ा निवासी 10 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
4. ललित कुमार कुक्कड़ पुत्र श्री छिनकू राम जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 14 पुरानी आबादी वार्ड नम्बर 14, श्रीगंगानगर।
5. श्रीमती शकुन्तला गेरा पुत्री श्री छिनकू राम पत्नी श्री मूल चन्द गेरा जाति अरोड़ा निवासी 9 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. श्रीमती अंजू बाला पत्नी स्व0 श्री महेन्द्र कुमार जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 14, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
7. मोहित कुमार कुक्कड़ पुत्र स्व0 श्री महेन्द्र कुमार जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 14, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
8. साहिल कुक्कड़ पुत्र स्व0 श्री महेन्द्र कुमार जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 14, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
9. यश पुत्र श्री किशन चन्द जाति अरोड़ा निवासी 10 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
10. कृष्णा कुमारी पत्नी श्री प्रमोद कुमार जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 14, नजदीक खेत्रपाल मंदिर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
11. प्रमोद कुमार पुत्र श्री आत्म प्रकाश जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 14, नजदीक खेत्रपाल मंदिर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
12. युवराज राजपाल पुत्र श्री प्रमोद कुमार जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 14, नजदीक खेत्रपाल मंदिर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
13. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित–	श्री संजय जनवेजा	(अधिवक्ता वादी)
	श्री रोबिन गुम्बर	(प्रति. संख्या 1 से 12)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी–13)

दिनांक 20 नवम्बर 2024

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5, 9 से 12 तथा स्व0 श्री महेन्द्र कुमार स्व0 श्रीमती भगवान देवी के नाम से संयुक्त खाता में वाके चक 10 जी छोटी के खाता संख्या 14/92 के मुरब्बा नम्बर 27 व 28 की कुल [illegible] हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि, इसी चक 10 जी छोटी के खाता संख्या 89/90 के मुरब्बा नम्बर [illegible] की 3.038 हैक्टेयर नहरी भूमि तथा खाता संख्या 117/89 के मुरब्बा नम्बर 28 की [illegible] कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। जो कि संयुक्त खाता की भूमि है। संयुक्त खातेदार [illegible] भगवान देवी का दिनांक 11.02.2019 को देहान्त हो चुका है, जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 4 से 8 हैं तथा मौका पर श्रीमती भगवान देवी की भूमि पर बतौर उत्तराधिकारी [illegible]बिज है तथा इन्हे वाद पत्र में पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। संयुक्त खातेदार श्री महेन्द्र कुमार का देहान्त हो चुका है, जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 6 से 8 हैं तथा मौका पर स्व0 श्री महेन्द्र कुमार की भूमि पर बतौर उत्तराधिकारी काबिज है तथा इन्हे वाद पत्र में पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण का रकबा रकबा खातेदारी होने के कारण काश्त में कई व्यावहारिक दिक्कते आती थी तथा लगान व आबियाना आदि अदा करने, सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.09 13:56:38 IST
Reason: SelfAttested

की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने व ऋण आदि प्राप्त करने में भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, इस कारण वादी एवं प्रतिवादीगण ने काश्त की सहुलियत, अच्छी आबपाशी अनुसार, हक व हिस्सा अनुसार, उपजाउ व कम उपजाउ किस्म के अनुसार आज से काफी समय पूर्व अपनी कृषि भूमि का मौखिक घरेलू बंटवारा कर लिया था। घरू मौखिक बंटवारा के अनुसार वादी को चक 10 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 14/92 का मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 18(0.253), 21(0.0195 है0 पूर्वी हिस्सा), 22(0.228), 23(0.228) कुल 0.728 है0 नहरी कृषि भूमि व खाता संख्या 89/90 का मुरब्बा नम्बर 27 का किला नम्बर 24(0.228), 25(0.203) कुल 0.431 हैक्टेयर कृषि भूमि, इस प्रकार दोनों खातों की कुल 1.1595 है0 भूमि प्राप्त हुई, शेष भूमि प्रतिवादीगण को प्राप्त हुई। वादी एवं प्रतिवादीगण पिछले काफी समय से घरू बंटवारानामा अनुसार अपने अपने रकबा पर काबिज चले आ रहें हैं तथा मौका पर घरू बंटवारा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण की फसले खड़ी हैं। कुछ दिन पूर्व वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 को सहमति से बंटवारा करके घरू बंटवारानामा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन के लिए कहा। पहले तो वह टाल मटोल करते रहे तथा दिनांक 01.07.2024 को प्रतिवादीगण ने घरू बंटवारा मानने से इन्कार कर दिया और वादी को सहमति से कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा कर देने से साफ इन्कार कर दिया है। यही वाद कारण है। अन्त में वादी द्वारा निवेदन किया कि वादी को चक 10 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 14/92 का मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 18(0.253), 21(0.0195 है0 पूर्वी हिस्सा), 22(0.228), 23(0.228) कुल 0.728 है0 नहरी कृषि भूमि व खाता संख्या 89/90 का मुरब्बा नम्बर 27 का किला नम्बर 24(0.228), 25(0.203) कुल 0.431 हैक्टेयर कृषि भूमि, इस प्रकार दोनों खातों की कुल 1.1595 है0 भूमि का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि वादी के नाम से दर्ज करवाई जाकर, लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे। वाद पत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत 2073 से 2076 चक 10 जी छोटी तहसील श्रीगंगानगर, संलग्न कर प्रस्तुत की गई। दिनांक 29.10.2024 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 तथा 10 ता 12 ने अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित आकर वकालतनामा व जवाब वाद पत्र मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया। तत्पश्चात दिनांक 29.10.2024 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 व 10 ता 12 उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 13 राज्य पक्ष की ओर से राज्यप्रतिनिधि उपस्थित। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 व 10 ता 12 द्वारा स्वंय उपस्थित आकर राजीनामा दि 29.10.2024 प्रस्तुत किया। वादी की शिनाख्त अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा के द्वारा तथा प्रतिवादीगण की शिनाख्त अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर के द्वारा की गई। इसके अतिरिक्त वादी एवं प्रतिवादी के पहचान के दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न कर प्रस्तुत की गई। अतः राजीनामा प्रमाणित किया गया। दिनांक 30.10.2024 को प्रतिवादी संख्या 9 ने अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित आकर जवाब वाद पत्र मय काउन्टर क्लेम पेश किया तथा राजीनामा अनुसार वाद पत्र निर्णय करने में अपनी सहमति व्यक्त की। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा स्वप्रमाणित फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र महेन्द्र कुमार व भगवान देवी तथा वारिसनामा प्रस्तुत किया गया। प्रति सं0 13 राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई।

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 29.10.2024, पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत बहस का मनन किया गया। ऐसी स्थिति में, वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत अभिलेख जमाबन्दी सम्बत 2073 से 2076 चक 10 जी छोटी तहसील श्रीगंगानगर के आधार पर एवम् राजीनामा/इकबाली जवाब दावा के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद पत्र/काउन्टर क्लेम स्वीकार किए जाने योग्य है।

सहायक कलक्टर एव
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.09 13:56:38 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः वाद पत्र एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाता [illegible] तथा [illegible]दीगण एवं प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी का निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जा[illegible]

1. वादी महेन्द्र कुमार कुक्कड़ पुत्र श्री रामचन्द्र [illegible] जाति अरोड़ा साकिन जी 21 खालसा नगर, श्रीगंगानगर खातेदार को चक 10 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 14/92 का मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 18(0.253), 21(0.0195 है0 पूर्वी हिस्सा), 22(0.228), 23(0.228) कुल 0.7285 है0 नहरी कृषि भूमि व खाता संख्या 89/90 का मुरब्बा नम्बर 27 का किला नम्बर 24(0.228), 25(0.203) कुल 0.431 है0 कृषि भूमि, इस प्रकार दोनों खातों की कुल 1.1595 है0 भूमि।

प्रति0 सं0 1 ओमप्रकाश पुत्र श्री रामचन्द जाति अरोड़ा साकिन देह खातेदार को चक
2. 10 जी छोटी तह0 श्रीगंगानगर का खाता संख्या 14/92 का मुरब्बा नम्बर 28 किला नम्बर 21 ता 25 (प्रत्येक 0.228) कुल 1.140 है0 नहरी कृषि भूमि (रहन बदस्तूर)।

प्रतिवादी संख्या 2 पूर्ण चन्द पुत्र श्री रामचन्द जाति अरोड़ा साकिन देह खातेदार को
3. चक 10 जी छोटी तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 14/92 का मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 11(0.253), 12(0.192 है0 पश्चिमी हिस्सा), 19(0.253), 20(0.253), 21(0.2085 है0 पश्चिमी हिस्सा) कुल 1.1595 है0 भूमि (रहन बदस्तूर)।

प्रति0 सं0 3 वेदप्रकाश पुत्र श्री रामचन्द जाति अरोड़ा साकिन देह खातेदार को चक 10
4. जी छोटी तह0 श्रीगंगानगर का खाता सं0 14/92 का मु0 न0 28 कि0न0 19(0.164 है0 पश्चिमी हिस्सा), 20(0.253) कुल 0.417 है0 नहरी कृषि भूमि।(रहन बदस्तूर)।

5. प्रति0 सं0 5 श्रीमती शकुन्तला गेरा पुत्री श्री छिनकू राम पत्नी श्री मूल चन्द गेरा जाति अरोड़ा निवासी 9 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर को चक 10 जी छोटी तहसील श्रीगंगानगर का खाता सं0 14/92 का मु0 न0 27 कि0 न0 9(0.228 है0), 12(0.061 है0 पूर्वी हिस्सा), 13/1(0.076), कुल 0.365 है0 नहरी कृषि भूमि, मुरब्बा नम्बर 28 किला नम्बर 13, 14, 15, 16, 17, 18(1.518 है0), 19 (0.089 है0 पूर्वी हिस्सा) कुल 1.607 है0 कृषि भूमि व खाता संख्या 89/90 का मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 6(0.228 है0), 7, 8(0.506 है0), 13/2(0.177), 14(0.253) कुल 1.164 है0 कृषि भूमि व खाता संख्या 117/89 का मुरब्बा नम्बर 28 का किला नम्बर 12 (0.253 है0) कुल 3.389 है0 कृषि भूमि।

6. प्रतिवादी संख्या 6, 7, 8 श्रीमती अंजू बाला धर्मपत्नी श्री महेन्द्र कुमार, मोहित कुमार कुक्कड़, साहिल कुक्कड़ पि0 श्री महेन्द्र कुमार साकिन वार्ड नम्बर 14, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर (बहिब) खातेदारान को चक 10 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 14/92 का मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 1, 2 व 10 (सालम), किला नम्बर 9 में से 0.025 है0 पश्चिमी दिशा वाला हिस्सा कुल 0.784 हैक्टेयर, खाता संख्या 89/90 का मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 3, 4 (0.506 है0), 5(0.228), कुल 0.734 है0 कृषि भूमि, दोनों खातों की कुल 1.518 है0 कृषि भूमि।

7. प्रतिवादी संख्या 9 यश पुत्र श्री किशन चन्द जाति अरोड़ा साकिन देह खातेदार को चक 10 जी छोटी तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 89/90 का मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 15(0.228), 16(0.228), 17(0.253), कुल 0.709 है0 नहरी कृषि भूमि ।

8. प्रति0 सं0 10, 11 व 12 (1) कृष्णा कुमारी पत्नी श्री प्रमोद कुमार – हिस्सा 633/1518 (3) युवराज 632/1518 (2) प्रमोद कुमार पुत्र श्री आत्म प्रकाश–हिस्सा 253/1518 (रहन बदस्तूर) जाति अरोड़ा नि0 राजपाल पुत्र श्री प्रमोद कुमार हिस्सा वार्ड नम्बर 14, नजदीक खेत्रपाल मंदिर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर खातेदारान को चक 10 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 117/89 का मुरब्बा नम्बर 28 का किला नम्बर 6 ता 11(1.518 है0) कुल 1.518 है0 कृषि भूमि।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि के राजस्व अभिलेख में उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी तथा उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग–अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी। जिसमें किसी प्रकार का [illegible] खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिक्री [illegible] किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 20 नवम्बर 2024 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.09 13:56:38 IST
Reason: SelfAttested

स्वाति गुप्ता
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

डिक्री
(Order 20 Rule 6-7 CPC)
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रैक) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– स्वाति गुप्ता R.A.S.

महेन्द्र कुमार कुक्कड़ पुत्र श्री रामचन्द कुक्कड़ जाति अरोड़ा निवासी 10 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) हाल G-21 खालसा नगर, श्रीगंगानगर। ....वादी

व ना म

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री रामचन्द जाति अरोड़ा निवासी 10 जी छोटी तह0 श्रीगंगानगर।
2. पूर्ण चन्द पुत्र श्री रामचन्द जाति अरोड़ा निवासी 10 जी छोटी तह0 श्रीगंगानगर।
3. वेदप्रकाश पुत्र श्री रामचन्द जाति अरोड़ा निवासी 10 जी छोटी तह0 श्रीगंगानगर।
4. ललित कुमार कुक्कड़ पुत्र श्री छिनकू राम जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 14 पुरानी आबादी वार्ड नम्बर 14, श्रीगंगानगर।
5. श्रीमती शकुन्तला गेरा पुत्री श्री छिनकू राम पत्नी श्री मूल चन्द गेरा जाति अरोड़ा निवासी 9 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
6. श्रीमती अंजू बाला पत्नी स्व0 श्री महेन्द्र कुमार जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 14, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
7. मोहित कुमार कुक्कड़ पुत्र स्व0 श्री महेन्द्र कुमार जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 14, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
8. साहिल कुक्कड़ पुत्र स्व0 श्री महेन्द्र कुमार जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 14, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
9. यश पुत्र श्री किशन चन्द जाति अरोड़ा नि0 10 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
10. कृष्णा कुमारी पत्नी श्री प्रमोद कुमार जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 14, नजदीक खेत्रपाल मंदिर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
11. प्रमोद कुमार पुत्र श्री आत्म प्रकाश जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 14, नजदीक खेत्रपाल मंदिर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
12. युवराज राजपाल पुत्र श्री प्रमोद कुमार जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 14, नजदीक खेत्रपाल मंदिर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर। .... प्रतिवादीगण
13. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

उपस्थित– श्री संजय जनवेजा (अधिवक्ता वादी)
श्री रोबिन गुम्बर (प्रति. संख्या 1 से 12)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–13)

दिनांक 21 नवम्बर 2024

वाद संख्या 42/2024
अन्तर्गत धारा 88, 53, राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर फास्टट्रैक श्रीगंगानगर द्वारा अधिवक्ता वादी श्री संजय जनवेजा, अधि. प्रति.सं 1 से 12 श्री रोबिन गुम्बर व पैरोकार राज की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि–
अतः वाद पत्र एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी का निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है:–

1. वादी महेन्द्र कुमार कुक्कड़ पुत्र श्री रामचन्द कुक्कड़ जाति अरोड़ा साकिन जी 21 खालसा नगर, श्रीगंगानगर खातेदार ... तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 14/92 का मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 18(0.253), 21(0.0195 है0 पूर्वी हिस्सा), 22(0.228), 23(0.228) कुल 0.7285 है0 नहरी कृषि भूमि व खाता संख्या 89/90 का मुरब्बा नम्बर 27 का किला नम्बर 24(0.228), 25(0.203) कुल 0.431 है0 कृषि भूमि, इस प्रकार दोनों खातों की कुल 1.1595 है0 भूमि।
2. प्रति0 सं0 1 ओमप्रकाश पुत्र श्री रामचन्द जाति अरोड़ा साकिन देह खातेदार को चक 10 जी छोटी तह0 श्रीगंगानगर का खाता संख्या 14/92 का मुरब्बा नम्बर 28 किला नम्बर 21 ता 25 (प्रत्येक 0.228) कुल 1.140 है0 नहरी कृषि भूमि (रहन बदस्तूर)।
3. प्रतिवादी संख्या 2 पूर्ण चन्द पुत्र श्री रामचन्द जाति अरोड़ा साकिन देह खातेदार को चक 10 जी छोटी तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 14/92 का मुरब्बा नम्बर 27 ... है0 पश्चिमी हिस्सा), 19(0.253), 20(0.253), ... 12(0.192 ...

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.09 13:56:38 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रति सं0 3 वेदप्रकाश पुत्र श्री रामचन्द जाति अरोड़ा साकिन देह खातेदार को चक 10 जी छोटी तह0 श्रीगंगानगर का खाता सं0 14/92 का मु0 न0 28 कि0न0 19(0.164 है0 पश्चिमी हिस्सा), 20(0.253) कुल 0.417 है0 नहरी कृषि भूमि।(रहन बदस्तूर)।

5. प्रति0 सं0 5 श्रीमती शकुन्तला गेरा पुत्री श्री छिनकू राम पत्नी श्री मूल चन्द गेरा जाति अरोड़ा निवासी 9 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर को चक 10 जी छोटी तहसील श्रीगंगानगर का खाता सं0 14/92 का मु0 न0 27 कि0 न0 9(0.228 है0), 12(0.061 है0 पूर्वी हिस्सा), 13/1(0.076), कुल 0.365 है0 नहरी कृषि भूमि, मुरब्बा नम्बर 28 किला नम्बर 13, 14, 15, 16, 17, 18(1.518 है0), 19 (0.089 है0 पूर्वी हिस्सा) कुल 1.607 है0 कृषि भूमि व खाता संख्या 89/90 का मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 6(0.228 है0), 7, 8(0.506 है0), 13/2(0.177), 14(0.253) कुल 1.164 है0 कृषि भूमि व खाता संख्या 117/89 का मुरब्बा नम्बर 28 का किला नम्बर 12 (0.253 है0) कुल 3.389 है0 कृषि भूमि।

6. प्रतिवादी संख्या 6, 7, 8 श्रीमती अंजू बाला धर्मपत्नी श्री महेन्द्र कुमार, मोहित कुमार कुक्कड़, साहिल कुक्कड़ पि0 श्री महेन्द्र कुमार साकिन वार्ड नम्बर 14, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर (बहिब) खातेदारान को चक 10 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 14/92 का मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 1, 2 व 10 (सालम), किला नम्बर 9 में से 0.025 है0 पश्चिमी दिशा वाला हिस्सा कुल 0.784 हैक्टेयर, खाता संख्या 89/90 का मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 3, 4 (0.506 है0), 5(0.228), कुल 0.734 है0 कृषि भूमि, दोनों खातों की कुल 1.518 है0 कृषि भूमि।

7. प्रतिवादी संख्या 9 यश पुत्र श्री किशन चन्द जाति अरोड़ा साकिन देह खातेदार को चक 10 जी छोटी तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 89/90 का मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 15(0.228), 16(0.228), 17(0.253), कुल 0.709 है0 नहरी कृषि भूमि ।

8. प्रति0 सं0 10, 11 व 12 (1) कृष्णा कुमारी पत्नी श्री प्रमोद कुमार – हिस्सा 632/1518 (2) प्रमोद कुमार पुत्र श्री आत्म प्रकाश–हिस्सा 633/1518 (3) युवराज राजपाल पुत्र श्री प्रमोद कुमार हिस्सा 253/1518 (रहन बदस्तूर) जाति अरोड़ा नि0 वार्ड नम्बर 14, नजदीक खेत्रपाल मंदिर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर खातेदारान को चक 10 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 117/89 का मुरब्बा नम्बर 28 का किला नम्बर 6 ता 11(1.518 है0) कुल 1.518 है0 कृषि भूमि

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि के राजस्व अभिलेख में उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी तथा उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग–अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी। जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 21 नवम्बर 2024 को जारी की गई।

स्वाति गुप्ता
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वाद पत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनामा	00.00
स्टाम्प वकालतनामा	00.00	स्टाम्प आवेदन पत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	अन्य व्यय	00.00
कुल	**00.00**	कुल	**00.00**

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.09 13:56:38 IST
Reason: Self Attested

स्वाति गुप्ता
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

4. प्रति सं0 3 वेदप्रकाश पुत्र श्री रामचन्द जाति अरोड़ा साकिन देह खातेदार को चक 10 जी छोटी तह0 श्रीगंगानगर का खाता सं0 14/92 का मु0 न0 28 कि0न0 19(0.164 है0 पश्चिमी हिस्सा), 20(0.253) कुल 0.417 है0 नहरी कृषि भूमि।(रहन बदस्तूर)।

5. प्रति0 सं0 5 श्रीमती शकुन्तला गेरा पुत्री श्री छिनकू राम पत्नी श्री मूल चन्द गेरा जाति अरोड़ा निवासी 9 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर को चक 10 जी छोटी तहसील श्रीगंगानगर का खाता सं0 14/92 का मु0 न0 27 कि0 न0 9(0.228 है0), 12(0.061 है0 पूर्वी हिस्सा), 13/1(0.076), कुल 0.365 है0 नहरी कृषि भूमि, मुरब्बा नम्बर 28 किला नम्बर 13, 14, 15, 16, 17, 18(1.518 है0), 19 (0.089 है0 पूर्वी हिस्सा) कुल 1.607 है0 कृषि भूमि व खाता संख्या 89/90 का मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 6(0.228 है0), 7, 8(0.506 है0), 13/2(0.177), 14(0.253) कुल 1.164 है0 कृषि भूमि व खाता संख्या 117/89 का मुरब्बा नम्बर 28 का किला नम्बर 12 (0.253 है0) कुल 3.389 है0 कृषि भूमि।

6. प्रतिवादी संख्या 6, 7, 8 श्रीमती अंजू बाला धर्मपत्नी श्री महेन्द्र कुमार, मोहित कुमार कुक्कड़, साहिल कुक्कड़ पि0 श्री महेन्द्र कुमार साकिन वार्ड नम्बर 14, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर (बहिब) खातेदारान को चक 10 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 14/92 का मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 1, 2 व 10 (सालम), किला नम्बर 9 में से 0.025 है0 पश्चिमी दिशा वाला हिस्सा कुल 0.784 हैक्टेयर, खाता संख्या 89/90 का मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 3, 4 (0.506 है0), 5(0.228), कुल 0.734 है0 कृषि भूमि, दोनों खातों की कुल 1.518 है0 कृषि भूमि।

7. प्रतिवादी संख्या 9 यश पुत्र श्री किशन चन्द जाति अरोड़ा साकिन देह खातेदार को चक 10 जी छोटी तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 89/90 का मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 15(0.228), 16(0.228), 17(0.253), कुल 0.709 है0 नहरी कृषि भूमि ।

8. प्रति0 सं0 10, 11 व 12 (1) कृष्णा कुमारी पत्नी श्री प्रमोद कुमार – हिस्सा 632/1518 (2) प्रमोद कुमार पुत्र श्री आत्म प्रकाश–हिस्सा 633/1518 (3) युवराज राजपाल पुत्र श्री प्रमोद कुमार हिस्सा 253/1518 (रहन बदस्तूर) जाति अरोड़ा नि0 वार्ड नम्बर 14, नजदीक खेत्रपाल मंदिर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर खातेदारान को चक 10 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 117/89 का मुरब्बा नम्बर 28 का किला नम्बर 6 ता 11(1.518 है0) कुल 1.518 है0 कृषि भूमि

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि के राजस्व अभिलेख में उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी तथा उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग–अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी। जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 21 नवम्बर 2024 को जारी की गई।

स्वाति गुप्ता
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

कार्यपालक मजिस्ट्रेट / दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वाद पत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदन	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.09 13:56:38 IST
Reason: SelfAttested

स्वाति गुप्ता
(आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

कार्यपालक मजिस्ट्रेट / दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर